राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक प. 8(3)कार्मिक / क–2 / 2023–04443 जयपुर, दिनांक : 12/07/2023

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव

परिपत्र

विषयः–समस्त भर्ती परीक्षाओं में एकबारीय पंजीयन प्रणाली में संशोधन के सम्बन्ध में।

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 19.04.2023 द्वारा वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अपनी SSO ID द्वारा लॉगिन करने के पश्चात् One Time Registration ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार एकबारीय पंजीयन शुल्क जमा कराना निर्धारित किया गया है :–

1.	सामान्य (अनारक्षित) अभ्यर्थी	रू. 600 / –
2.	आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी	रू. 400 / –
3.	दिव्यांगजन	रू. 400 / –

समस्त नियुक्ति प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त प्रक्रिया के तहत एकबारीय पंजीयन प्रणाली में सम्बन्धित वर्ग हेतु एकबारीय निर्धारित शुल्क देने के बाद अभ्यर्थी द्वारा One Time Registration में कराये गये वर्ग (Category) के पंजीयन में त्रुटि संशोधन हेतु कोई राशि वसूल नहीं की जानी है।

उक्त सहमति **वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 162301376 दिनांक 11.07.2023** के अनुसरण में जारी की जाती है।

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
6. ए.सी.पी., कम्प्यूटर सेल, कार्मिक विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

Document certified by HEMANT KUMAR GERA <hkgera@gmail.com>.
Digitally Signed by Hemant Kumar Gera
Designation : Principal Secretary To Government
Date :12-07-2023 05:40:18

RajKaj Ref No. : 4266306

33/2023